भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/19/2026– डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: जून, 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

(मामला सं. एडी (ओ आई) 17/2026)
(सेतु मामला आई.डी.एडी/ ओ आई /019/2026)

विषय: चीन जन. गण. और मलेशिया में उत्पन्न या निर्यात किए गए "डायलाइज़र" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/19/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) के अनुसार, मैसर्स पॉली मेडिक्योर लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. तथा मलेशिया (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डायलाइज़र" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है तथा उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद "डायलाइज़र" है। डायलाइज़र एक डिस्पोजेबल चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग हेमोडायलिसिस उपचार में किया जाता है। एक डायलाइज़र एक कृत्रिम गुर्दे के रूप में कार्य करता है और रोगी के रक्त से यूरिया और क्रिएटिनिन, अतिरिक्त तरल पदार्थ और विषाक्त पदार्थों जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह एक जीवन रक्षक चिकित्सा उपभोज्य है और हेमोडायलिसिस प्रणाली का एक अनिवार्य घटक है।

4. यह डायलिसिस मशीन का एक अनिवार्य घटक है और डायलिसिस उपचार के दौरान रक्त शोधन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। डायलाइज़र एक अर्ध-पारगम्य खोखले फाइबर झिल्ली के माध्यम से प्रसार और निस्पंदन के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे रक्त में अशुद्धियाँ डायलीसेट में चली जाती हैं जबकि रक्त कोशिकाओं और आवश्यक घटकों को झिल्ली के माध्यम से पारित किया जाता है। डायलाइज़र विभिन्न झिल्ली सतह क्षेत्रों में उपलब्ध हैं और झिल्ली प्रवाह के आधार पर भी वर्गीकृत किए जाते हैं।

5. एफ6 एचपीएस, एफ7 एचपीएस, एफएक्स5, एफएक्स8, एफएक्स10, एफएक्स60, एफएक्स80, एचएफ60, एचएफ80 जैसे ब्रांड नामों वाले फ्रेसेनियस द्वारा बनाए और एक्सपोर्ट किए गए डायलाइज़र को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।

माप की इकाई

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित मापन इकाई संख्या अथवा पीस है।

टैरिफ वर्गीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 90 के अंतर्गत उपशीर्ष 90189031 में किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

पीसीएन पद्धति

8. विचाराधीन उत्पाद विभिन्न झिल्ली सतह क्षेत्रों तथा फ्लक्स श्रेणियों में उत्पादित एवं विक्रय किया जाता है। प्रत्येक प्रकार का डायलाइज़र उपभोक्ता द्वारा उसकी डायलिसिस आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जाता है। विभिन्न विशेषताओं (जैसे फ्लक्स प्रकार, सतह क्षेत्र आदि) के कारण उत्पाद की लागत एवं कीमत में अंतर होता है। अतः आवेदक ने निम्नलिखित पीसीएन पद्धति प्रस्तावित की है:

मानदंड विनिर्देशन कोड

मानदंड	**विनिर्देशन**	**कोड**
डायलाइज़र सतह क्षेत्र	1.3 एम^2 अथवा उससे कम	एक्सवाई जेड
	1.3 एम^2 से अधिक तथा 1.8 एम^2 से कम	
	1.8 एम^2 अथवा उससे अधिक	
फ्लक्स	उच्च	एच
	अन्य (मध्यम एवं निम्न)	एम

9. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपने विचार, औचित्य एवं साक्ष्य सहित, जांच शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं।

11. आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. तथा मलेशिया हैं।

घ. जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 (12 माह) तक निर्धारित की गई है। क्षति जांच अवधि में 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तथा वर्तमान जांच अवधि शामिल होगी।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

14. आवेदन मैसर्स पॉली मेडिक्योर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है तथा वह संबद्ध देशों के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख घरेलू उत्पादक है।

15. आवेदक के अतिरिक्त, भारत में विचाराधीन उत्पाद का केवल एक अन्य उत्पादक, अर्थात् निप्रो मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("निप्रो"), मौजूद है। निप्रो एक शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) के रूप में कार्य करता है तथा अपने उत्पाद का अधिकांश भाग निर्यात करता है। स्थिति निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने निप्रो की घरेलू बिक्री को घरेलू उत्पादन माना है।

16. उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन, कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। अतः, आवेदक एडी नियमों के नियम 2(ब) के अंतर्गत निर्धारित प्रतिनिधित्व के मानदंडों को पूरा करता है तथा घरेलू उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आता है। साथ ही, यह आवेदन एडी नियमों के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(2) का उल्लेख करते हुए कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह

प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, जैसा कि अनुबंध-I के पैरा 8(3) में अपेक्षित है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाए।

18. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में मूल्य अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य अथवा लागत संबंधी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ को समुचित रूप से समायोजित किया गया है। जांच प्रारंभ करने के उद्देश्य से इसी सामान्य मूल्य को स्वीकार किया गया है। चीन जन. गण. में संबंधित वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

ख) मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने दावा किया है कि मलेशिया में तुलनीय घरेलू मूल्य गोपनीय प्रकृति की जानकारी होने के कारण उपलब्ध नहीं थे। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर, आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित लागत में विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़कर किया गया है।

20. तथापि, जांच शुरू करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने दोनों संबद्ध देशों के लिए भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि शामिल है।

ग) निर्यात मूल्य

21. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य डीजी सिस्टम के आंकड़ों में उपलब्ध सीआईएफ मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, आंतरिक मालभाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग व्यय, बंदरगाह व्यय, डीलर कमीशन तथा बैंक शुल्क के लिए आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

घ) पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है तथा संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य उपलब्ध है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

23. आवेदक ने डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबंधित देशों से संबंधित वस्तु के आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबंधित देशों से संबंधित वस्तु के आयात के कारण मूल्य-दबाव के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। मात्रा एवं मूल्य के प्रभाव के परिणामस्वरूप, संबंधित आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता

संबंधी मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है। संबंधित देशों से पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो पाटन-रोधी जांच प्रारंभ किए जाने को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा दायर विधिवत समर्थित आवेदन तथा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, तथा अधिनियम की धारा 9क और नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं ताकि पाटन की उपस्थिति, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो।

झ. प्रक्रिया

25. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले सभी अनुरोध तथा पत्राचार उनके पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु मामला आईडी एडी/ ओ आई /019/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

27. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत कर सकें।

28. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से संबंधित अनुरोध निर्धारित रूप एवं तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।

29. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक पक्षकार को उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध करानी होगी।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट तथा सेतु पोर्टल पर नियमित दृष्टि रखें ताकि इस जांच से संबंधित अद्यतन जानकारी, प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा बैठक, मौखिक सुनवाई, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य सूचनाओं से अवगत रह सकें।

ट. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी एडी/ ओ आई /019/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर

अपलोड की जानी चाहिए।

32. प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (सीवी) तथा अगोपनीय पाठ (एनसीवी), को उनके लिए निर्धारित कॉलमों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध अभिलेखों तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें।

34. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) तथा पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 15 दिनों की अवधि इस अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. यदि प्राधिकारी किसी आगामी सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद अथवा पीसीएन में ऐसा संशोधन करता है जो जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रस्तावित नहीं था अथवा उससे भिन्न है, तो ऐसी संशोधित अधिसूचना की तिथि से 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। तथापि, यदि विचाराधीन उत्पाद एवं पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो यह अतिरिक्त अवधि लागू नहीं होगी। इस अतिरिक्त अवधि के अतिरिक्त समय विस्तार के अनुरोध केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे।

36. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपर्युक्त मूल समय सीमा समाप्त होने से कम से कम एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

37. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता हैं।

38. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारें को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

39. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।

40. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी

जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

43. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि जानकारी का प्रदाता जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

44. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 25-06-2026
18:32:06